न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या** 165/2025(GCMS : 2025/251)

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पता 201, 202 द्वितीय तल साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–3202020 **स्थानीय शाखा** नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर शिव चौक, सूरतगढ़ रोड़, गंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम सुथार

बनाम

1. **लालचन्द** पुत्र श्री मनीराम निवासी वार्ड नं. 11, 11 एल.एन.पी. ख्यालीवाला, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335002 **अन्य पता** पट्टा नं. 18, बुक नं. 403, 11 एल.एन.पी., श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335002
2. **मनोज कुमार** पुत्र श्री लालचन्द निवासी वार्ड नं. 11, 11 एल.एन.पी. ख्यालीवाला, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335002
3. **उर्मिला** पत्नी श्री पृथ्वीराज निवासी वार्ड नं. 11, 11 एल.एन.पी. ख्यालीवाला, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335002
4. **प्रेम कुमार** पुत्र श्री लालचन्द निवासी वार्ड नं. 11, 11 एल.एन.पी. ख्यालीवाला, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335002

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.02.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार मूण्ड उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लि. ने अप्रार्थीगण लालचन्द, मनोज कुमार, उर्मिला एवं प्रेम कुमार द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी लालचन्द की सम्पत्ति पट्टा नं. 18, बुक नं. 403, 11 एल.एन.पी. श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335002 जिसके उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में कालूराम, पश्चिम दिशा में पृथ्वीराज है, जिसका साईज 533.3 वर्गगज है, का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है परन्तु प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कुछ तकनीकी [illegible] आवश्यक संशोधन की आवश्यकता के कारण वर्तमान में [illegible] है, इसलिए प्रकरण को वापिस लेना चाहते है **अर्थात** नोट प्रेस करते है और अगर **इस** प्रकरण में इस स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण लालचन्द, मनोज कुमार, उर्मिला एवं प्रेम कुमार के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में लालचन्द की सम्पत्ति पट्टा नं. 18, बुक नं. 403, 11 एल.एन.पी. श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335002 जिसके उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में कालूराम, पश्चिम दिशा में पृथ्वीराज है, जिसका साईज 533.3 वर्गगज है, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था। और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:44 IST
Reason: SelfAttested